R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड II ◆ अंक 3
सितम्बर 2005

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

## छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र

छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अंश के रूप में रिज़र्व बैंक ने सभी पात्र छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं। सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करें।

### पात्रता

- ये दिशानिर्देश निम्नानुसार ऐसी संस्थाओं पर लागू होंगे जो सक्षम हैं अथवा संभाव्य रूप से सक्षम हैं :
  - (i) सभी गैर-कंपनी छोटे और मध्यम उद्यम चाहे उनका बैंकों को देय राशि स्तर कुछ भी क्यों न हो।
  - (ii) सभी कंपनी छोटे और मध्यम उद्यम, जो किसी एक बैंक से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर रहें है; चाहे उनका बैंक को देय राशि का स्तर कुछ भी क्यों न हो।
  - (iii) सभी कंपनी छोटे और मध्यम उद्यम, जिनका बहुविध / सहायता संघ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक निधिक और गैर-निधिक बकाया है।
- ऐसे खाते जो जानबूझकर चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्व्यवस्था के लिए पात्र नहीं होंगे।
- बैंकों द्वारा *हानिकर आस्तियों* के रूप में वर्गीकृत खाते पुनर्व्यवस्था के लिए पात्र नहीं होंगे।
- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) के दायरे के अंर्तगत आनेवाले मामलों के संबंध में बैंक उक्त पैकेज को कार्यान्वित करने से पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित सभी औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें ।

### सक्षमता

बैंक सक्षमता के स्वीकार्य न्यूनतम मानंदड (बेंच मार्क) के संबंध में निर्णय करें जो यूनिट के 7 वर्ष में सक्षम हो जाने के अनुरूप हो तथा पुनर्व्यवस्थित ऋण की चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो।

### पुनर्व्यवस्थित खातों के व्यवहार

*मानक खाते*

क) केवल मूलधन की किस्तों को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से एक मानक परिसंपत्ति को अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, बशर्ते उधारकर्ता की बकाया राशि पूर्णतः मूर्त जमानत द्वारा रक्षित हो। तथापि, मूर्त जमानत की शर्त को उन मामलों में लागू न किया जाए जहाँ बकाया राशि 5 लाख रुपये तक है, क्योंकि लघु उद्योग /अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक जमानत की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।

ख) ब्याज के तत्व की पुनर्व्यवस्था के कारण कोई भी आस्ति अवमानक श्रेणी में इस शर्त के अधीन निम्नवर्गीकृत नहीं किया जाएगा कि घाटे (सैक्रिफ़ाइस) की राशि, यदि कोई हो, जो वर्तमान मूल्यानुसार मापी गई हो, या तो बट्टे खाते में डाली जाएगी या संबद्ध घाटे की सीमा तक उसके लिए प्रावधान किया जाएगा ।

ग) उपर्युक्त (ख) के अनुसार वर्तमान मूल्य के संदर्भ में ब्याज की राशि में घाटा होने की स्थिति में, घाटे की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाए अथवा घाटे के बराबर का प्रावधान किया जाए।

*अवमानक/संदिग्ध खाते*

क) केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्निधारण करने से कोई भी *अवमानक/संदिग्ध* आस्ति एक विशिष्ट अवधि के लिए *अवमानक/संदिग्ध* श्रेणी में जारी रहने का पात्र बन जाती है बशर्ते उधारकर्ता की बकाया राशि मूर्त जमानत द्वारा पूर्णतः रक्षित हो। तथापि, उन मामलों में मूर्त जमानत की शर्त लागू नहीं की जाए जहाँ 5 लाख रुपये तक बकाया है, क्योंकि लघु उद्योग/अत्यंत छोटे क्षेत्र के उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

ख) ब्याज के तत्व का पुनर्निर्धारण करने से किसी *अवमानक/संदिग्ध* आस्ति को एक विशिष्ट अवधि तक *अवमानक/संदिग्ध* श्रेणी में वर्गीकृत करने

### विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **नीति** | |
| छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र | 1 |
| छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान | 3 |
| शाखा प्राधिकरण नीति उदार बनाई गई | 3 |
| **बैंकिंग** | |
| स्वर्ण धातु ऋण | 4 |

की पात्रता इस शर्त के अधीन मिलती है कि वर्तमान मूल्य के संदर्भ में मापित ब्याज के तत्व में घाटे की राशि, यदि कोई हो, को बट्टे खाते में डाल दिया गया हो अथवा घाटे की राशि के बराबर प्रावधान किया गया हो।

ग) ऐसे मामलों में भी जहाँ पिछले देय ब्याज को बट्टे खाते में डालने की वजह से घाटा हो गया हो, वहाँ आस्ति को *अवमानक/संदिग्ध* आस्ति के रूप में मानना जारी रखना चाहिए।

*प्रावधान*

क) ब्याज घाटे के लिए किए गए प्रावधान को लाभ-हानि खाते में नामे डालकर तैयार किया जाना चाहिए तथा एक सुस्पष्ट खाते में रखना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, किसी खाते के संबंध में, वर्तमान बीपीएल आर के अनुसार भावी ब्याज की देयता को उधारकर्ता की जोखिम श्रेणी की समुचित दर पर वर्तमान मूल्य से भुनाया जाना चाहिए (अर्थात् वर्तमान पीएलआर+उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित मीयादी प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम) तथा पुनर्निर्माण पैकेज के अंतर्गत प्राप्त होने की अपेक्षित देयताओं के वर्तमान मूल्य से तुलना करनी चाहिए, जो उसी आधार पर भुनाई गई हों।

ख) सभी चुकौती बाध्यताओं तथा खाते में बकाया राशि की पूरी चुकौती संतोषजनक तौर पर पूरी हो जाने तक घाटे की प्रत्येक तुलनपत्र के दिनांक पर पुनः गणना की जाए, ताकि बीपीएलआर, सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तनों के कारण उचित मूल्य में होनेवाले परिवर्तनों को पकड़ा जा सके। परिणामस्वरूप, बैंक प्रावधान में ह्रास के लिए व्यवस्था करें अथवा सुस्पष्ट खाते में धारित आवश्यकता से अधिक प्रावधान की राशि को रिवर्स किया जाए।

ग) जब खाते को *मानक आस्ति* के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाए तब अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को रिवर्स किया जाए।

## अतिरिक्त वित्त

यदि कोई अतिरिक्त वित्त हो तो, उसके संबंध में सभी खातों, जैसे मानक, अवमानक और संदिग्ध खातों में *मानक आस्ति* के तौर पर, ब्याज या मूलधन के पहले भुगतान की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित पुनर्व्यवस्था पैकेज के अंतर्गत आता हो, *मानक आस्ति* के रूप में माना जाए। यदि पुनः बनाई गई आस्ति, उपर्युक्त अवधि समाप्त होने तक उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्त को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में पुनर्व्यवस्थित ऋण के रूप में रख दिया जाए।

## उन्नयन

अवमानक / संदिग्ध खाते जिन्हें मूलधन की किस्त या ब्याज, जिस किसी भी तौर पर पुनर्व्यवस्थित किया जाना है, निर्दिष्ट अवधि के बाद अर्थात् उस तारीख से एक वर्ष के बाद जब ब्याज या मूलधन का पहला भुगतान, दोनों में से जो भी पहले हो, और पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अंतर्गत देय हो, उक्त अवधि के दौरान उनके संतोषप्रद कार्यनिष्पादन के आधार पर मानक श्रेणी में उन्नयन के पात्र होंगे।

## आस्ति-वर्गीकरण

निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि में, पुनर्व्यवस्थित खातों के आस्ति-वर्गीकरण की स्थिति में कमी नहीं आएगी, यदि इस अवधि में खाते का संतोषजनक कार्य-निष्पादन प्रदर्शित होता है। फिर भी, एक वर्ष की अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य-निष्पादन प्रकट न होने पर, पुनर्व्यवस्थित खाते का आस्ति-वर्गीकरण पुनर्व्यवस्था के पूर्व की भुगतान अनुसूची के संदर्भ में लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। आस्ति वर्गीकरण, बैंकों पर लागू होने वाले वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक बैंक के वसूली रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग होगा ।

## बार-बार पुनर्व्यवस्था

आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष प्रबंध तभी किया जा सकेगा जब खाते की पुनर्व्यवस्था पहली बार की जा रही हो।

## क्रियाविधि

- इन दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक ऋण पुनर्व्यवस्था योजना बनाएँ। योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने के लिए सरल हो और कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में दर्शाए गये मानदंडों को उसमें शामिल किया जाये।
- उधारकर्ता यूनिटों से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर यह पुनर्व्यवस्था की जाएगी।
- संघीय /बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत पात्र छोटे और मध्यम उद्यमों के मामले में अधिकतम बकाया वाला बैंक बकाये का दूसरा सबसे अधिक अंश रखनेवाले बैंक के साथ पुनर्व्यवस्था पैकेज तैयार करें।

## समय-सीमा

बैंकों को चाहिए कि वे अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अधिक से अधिक 60 दिन की अवधि में पुनर्व्यवस्था पैकेज तैयार कर उसका कार्यान्वयन करें।

## समीक्षा

छोटे और मध्यम उद्यमों के खातों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा बैंक तिमाही आधार पर करें और इसकी जानकारी अपने बोर्ड को दें।

## प्रकटीकरण

छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्व्यवस्था योजना बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और सिडबी को भी अपने वेबसाइट पर रखने के लिए प्रेषित की जानी चाहिए।

बैंकों को चाहिए कि वे अपने प्रकाशित वार्षिक तुलनपत्रों में *लेखा पर टिप्पणी* के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्यमों हेतु वर्ष के दौरान प्रारंभ की गयी पुनर्व्यवस्था के अधीन आस्तियों की कुल राशि, मानक आस्तियों की राशि, अवमानक आस्तियों की राशि की जानकारी प्रकट करें।

## छोटे और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2005 के अपने परिपत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों की परिभाषा की है। परिभाषा को नीचे उद्धृत किया जाता है :

"वर्तमान में होज़ियरी, हाथ के औज़ार, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, लेखन सामग्री और खेल-कूद के सामान के अंतर्गत कुछ विशेष वस्तुओं के संबंध में, जहाँ निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई हो, को छोड़कर लघु उद्योग इकाई वह औद्योगिक उपक्रम है, जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हों। एक व्यापक विधि व्यवस्था संसद में विचाराधीन है, जिससे लघु उद्योगों का छोटे और मध्यम उद्यमों में आमूल-चूल परिवर्तन सुलभ हो सकेगा। उपर्युक्त विधिव्यवस्था का अधिनियम होने तक वर्तमान लघु उद्योगों /अत्यंत लघु उद्योगों की परिभाषा वही रहेगी। संयंत्र और मशीनरी में लघु उद्योग सीमा से अधिक तथा 10 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां मध्यम उद्यम मानी जाएंगी।"

## छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान

रिज़र्व बैंक ने 10 करोड़ रु. से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी समझौता योजना की घोषणा की। ये दिशानिर्देश सरल और ऐसा तंत्र उपलब्ध कराएंगे जिसमें कोई भेदभाव न हो। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक इन दिशानिर्देशों को समान रूप से लागू करें। दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं -

### व्याप्ति

- दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जायेगा -
  - क) छोटे और मध्यम उद्यम खातों में ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च 2004 को संदिग्ध या हानिवाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10.00 करोड़ रुपये और उससे कम हो।
  - ख) ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें 31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों तथा खाते को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाली तारीख को जिनकी बकाया राशि 10 करोड़ रुपये अथवा कम हो।
  - ग) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरु की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।
- दिशानिर्देशों में जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।
- ऋणकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2006 को कारोबार समाप्त होने की होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच कार्य 30 जून 2006 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

### निपटान फार्मूला

*(i) दिनांक 31 मार्च 2004 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियां* - वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि, संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि का 100 प्रतिशत होगी।

*(ii) दिनांक 31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संदिग्ध या हानि वाली बन गयी हों,* वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि लेखे में अंतरण की तारीख को विद्यमान राशि का 100 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2004 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

### अदायगी

समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि अधिमानतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

### मंजूर करनेवाले प्राधिकारी

एक बारगी निपटान तथा बाद में माफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। किसी ऋणकर्ता के लिए निपटान संबंधी दिशानिर्देशों में कोई व्यतिक्रम केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

### रिपोर्ट देना

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विभिन्न माध्यमों से इस एक बारगी निपटान योजना का व्यापक प्रचार करें और पात्र चूककर्ता ऋणकर्ताओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2006 तक नोटिस दें। बैंकों को चाहिए कि वे अपनी वेबसाइट पर भी इन दिशानिर्देशों को प्रदर्शित करें।

## शाखा प्राधिकरण नीति उदार बनाई गई

भारत में शाखाओं के प्राधिकरण के लिए नीति को उदारीकृत तथा तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि एक ऐसी शाखा प्राधिकरण नीति की रूपरेखा तैयार की जाए जो बैंकों की मध्यावधि कंपनी कार्यनीति तथा जनहित के अनुरूप हो। नयी शाखा प्राधिकरण नीति की रूपरेखा में नीचे दिये गये पैराग्राफों में उल्लिखित तत्व होंगे।

संशोधित शाखा प्राधिकरण नीतिगत ढांचे के अंतर्गत, प्राधिकरण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगाः

(क) बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते समय, इस बात पर अधिक बल दिया जाएगा कि बैंकों द्वारा आम जनता, विशेषकर कमतर बैंक सुविधाओं वाले क्षेत्रों के सामान्य व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप और व्याप्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण-प्रवाह, उत्पादों का मूल्यन तथा उचित नये उत्पाद प्रारंभ करने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के साथ-साथ वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए समग्र प्रयासों की क्या स्थिति है।

(ख) इस प्रकार के मूल्यांकन में सम्मिलित होगी - न्यूनतम शेष राशि की ज़रूरतों संबंधी नीति तथा यह बात कि क्या जमाकर्ताओं को न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं या *बिना तड़क-भड़क* वाली बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं, बुनियादी बैंकिंग गतिविधि के प्रति निष्ठा, जैसे - जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त होनेवाली शिकायतों की संख्या और बैंक में उनके समाधान के लिए उपलब्ध तंत्र से प्रमाणित होगी।

(ग) विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता के संवर्धन को प्रेरित करने की आवश्यकता।

(घ) विनियामक सुविधा, जैसे -

- न केवल विनियमन के आशय का अनुपालन बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या बैंक की गतिविधियां विनियमन के अभिप्राय और अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- बैंकिंग समूह के कार्यकलाप और बैंक के अपनी सहायक, संबद्ध तथा सहयोगी संस्थाओं के साथ स्थापित संबंध का स्वरूप।
- कार्पोरेट गवर्नेंस, उचित जोखिम प्रबंध प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता।

जहां तक क्रियाविधि संबंधी पहलुओं का संबंध है, प्रत्येक शाखा खोलने के लिए समय-समय पर प्राधिकार देने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर, एक परामर्शदायी और आपसी विचार-विमर्श वाली प्रणाली के माध्यम से समग्र रूप से वार्षिक आधार पर स्वीकृति देने की प्रणाली लागू की जाएगी। बैंकों की शाखा-विस्तार संबंधी रणनीति तथा मध्यावधि की योजनाओं पर रिज़र्व बैंक द्वारा अलग-अलग बैंकों से विचार-विमर्श किया जाएगा। मध्यम अवधि के ढांचे तथा विशिष्ट प्रस्तावों में एटीएम सहित सभी श्रेणियों की शाखाओं/कार्यालयों को खोलना/ बंद करना/एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यथासंभव रूप से शामिल है। वार्षिक आधार पर प्रदत्त प्राधिकरण अनुमोदन की तारीख से लेकर एक वर्ष के लिए वैध होंगे।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2004-05** **Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05**
29 सितम्बर तथा 30 सितम्बर 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेरित

नीति संबंधी उपर्युक्त मानदंड विदेशी बैंकों पर उन मानदंडों के अतिरिक्त लागू होंगे जो विदेशी बैंकों के लिए विशेष रूप से हैं। जबकि विदेशी बैंकों के शाखा विस्तार पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा, इस प्रकार की गणना के लिए शाखाओं की संख्या में एटीएमों को शामिल नहीं किया जाएगा।

बैंकों से प्राप्त शाखा प्राधिकरण संबंधी सभी आवेदन पत्रों की आगे से पूर्ववर्ती नीतिगत ढांचे के अनुसार विस्तृत जांच की जाएगी जिसे उचित लचीलेपन के साथ लागू किया जाएगा। बैंक अपनी मध्यावधि योजनाओं के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए अपने प्रस्ताव हमें भेज सकते हैं।तथापि, संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में यह प्रस्ताव है कि बैंकों से प्राप्त अत्यावश्यक अनुरोधों पर, यदि कोई हों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को पहले ही प्रस्तुत किये गये हैं, पर कार्रवाई करने हेतु वह विचार करेगा तथा उन मामलों में से प्रत्येक मामले का मामला-दर-मामला अनुमोदन करेगा जो मोटे तौर पर उपर्युक्त नीतिगत ढांचे के अनुरूप हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह भी निर्णय लिया है कि शाखाओं की विद्यमान श्रेणियों को युक्तियुक्त बनाया जाए और शाखाओं के प्राधिकरण से संबंधित क्रियाविधियों को सरल बनाया जाए।

## बैंकिंग

### स्वर्ण धातु ऋण

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि स्वर्ण का आयात करने के लिए प्राधिकृत नामित बैंकों को स्वर्ण धातु ऋण केवल देशी आभूषण निर्यातकों को ही देने की अनुमति दी जाये। यह अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि देशी आभूषण निर्माताओं को स्वर्ण ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा किया गया कोई स्वर्ण ऋण उधार या अन्य गैर निधिक वचनबद्धताओं को निर्यातेतर प्रयोजनों के लिए कुल उधारों के संदर्भ में समग्र उच्चतम सीमा (वर्तमान में टियर ` पूंजी का 25 प्रतिशत) के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। आभूषण के निर्यातकों को दिये जानेवाले स्वर्ण ऋण 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में से दिये जानेवाले बने रहेंगे।

तदनुसार बैंक देशी आभूषण निर्माताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वर्ण धातु ऋण प्रदान करें-

(i) स्वर्ण ऋण की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) उधारकर्ताओं पर लगाये जानेवाले ब्याज को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण ब्याज दर से संबद्ध किया जाना चाहिए।

(iii) स्वर्ण उधार सामान्य प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(iv) उक्त ऋण, पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य विवेकाधीन अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

(v) आभूषण निर्माताओं को दिये जानेवाले स्वर्ण ऋणों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है तथा अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

(vi) स्वर्ण उधारों और दिये गये ऋणों के बीच उभरनेवाली बेमेल स्थिति नामित बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण जोख़िम सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

(vii) स्वर्ण ऋण प्रदान करने के संबंध में समग्र जोख़िमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है और बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत उधार नीति निर्धारित की जाती है।

वर्तमान में नामित बैंक उन आभूषण निर्यातकों को, जो अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्राहक हैं, उनके बैंकरों द्वारा नामित बैंकों के पक्ष में जारी उद्यत साख पत्र अथवा बैंक गारंटी स्वीकार कर स्वर्ण धातु ऋण प्रदान कर सकते हैं जो प्राधिकृत बैंकों के उधार देने संबंधी अपने मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन हों। उदारीकरण के आगे और उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि देशी आभूषण निर्माताओं को भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सुविधा प्रदान की जाए -

(क) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी केवल देशी आभूषण निर्माताओं की ओर से प्रदान की जाएगी तथा यह हर समय इन संस्थाओं द्वारा उधार लिए गए स्वर्ण की मात्रा के पूरे मूल्य को कवर करेगी। उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा केवल किसी नामित बैंक के पक्ष में ही दी जाएगी और ऐसी किसी अन्य संस्था को नहीं जिसके पास स्वर्ण का आयात करने के लिए अन्य प्रकार से अनुमति हो।

(ख) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी (केवल अंतर्देशीय साख-पत्र/बैंक गारंटी) जारी करनेवाले बैंक को चाहिए कि वह उचित ऋण-मूल्यांकन करने के बाद ही यह जारी करे। बैंक यह सुनिश्चित करे कि स्वर्ण के मूल्यों में होनेवाली घट-बढ़ के अनुरूप हर समय उसके पास पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(ग) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी की सुविधा के मूल्य का अंकन भारतीय रुपयों में होगा, न कि विदेशी मुद्रा में।

(घ) नामित न किये गये बैंकों द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी मौजूदा पूँजी पर्याप्तता और विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगी।

(ङ) उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी जारी करनेवाले बैंकों को यह भी चाहिए कि ये सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विद्यमान समग्र जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करें तथा अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक विस्तृत ऋण नीति निर्धारित करें।

रिज़र्व बैंक ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि -

- किसी अन्य बैंक के उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी के आधार पर स्वर्ण धातु ऋण प्रदान करनेवाले नामित बैंक द्वारा ग्रहण किए गए ऋणादि जोखिम को गारंटी देनेवाले बैंक पर ऋणादि जोखिम के रूप में माना जाएगा और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसके लिए उचित जोखिम भारिता अपेक्षित होगी।
- लेनदेन पूर्णतया दुतरफा (बैक टू बैक) आधार पर होना चाहिए, अर्थात् नामित बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण धातु ऋण किसी नामित न किये गये बैंक के ग्राहक को नामित न किये गये बैंक द्वारा जारी उद्यत साख-पत्र/बैंक गारंटी के आधार पर सीधे प्रदान करें।
- स्वर्ण धातु ऋणों के साथ स्वर्ण के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उधार लेनेवाली संस्था की किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देयता संबद्ध नहीं होनी चाहिए।
- बैंक अपने ऋणादि जोखिम और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की गणना प्रतिदिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित रुपया-डॉलर संदर्भ दर के साथ स्वर्ण/अमेरिकी डॉलर दर के लिए निर्धारित की जानेवाली लंदन एएम दर से क्रासिंग द्वारा स्वर्ण की मात्रा को रुपये में परिवर्तित करते हुए करें।
- बुलियन की ज़मानत पर उधार देने के संबंध में मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

**अल्पना किल्लावाला** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग), आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट पर www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**